## 1 आपराधिक प्रकरण कमांक 1133/2015

# न्यायालय- प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

<u>प्रकरण कमांक 1133 / 2015</u> संस्थापित दिनांक 07 / 12 / 2015

> मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र— गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

> > ..... अभियोजन

#### बनाम

 रामदास जाटव पुत्र करकरी जाटव उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम गुहीसर, थाना—मौ, जिला भिण्ड म0प्र0

<u>.....</u> अभियुक्त

(अपराध अंतर्गत धारा— 454, 354, 323, 324, 506 भाग—2 भा०द०सं०) (राज्य द्वारा एडीपीओ— श्रीमती हेमलता आर्य।) (आरोपी द्वारा अधिवक्ता—श्री अरूण श्रीवास्तव।)

# ::- नि र्ण य -::

# (आज दिनांक 23.03.2018 को घोषित किया)

आरोपी पर दिनांक 16.10.2015 को दोपहर लगभग 02:00 बजे ग्राम गुहीसर में स्थित अभियोक्त्री के निवास गृह में चोरी करने या कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन गृहअतिचार अथवा गृह भेदन कारित करने, अभियोक्त्री को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने, अभियोक्त्री एवं आहत भगवानदास की मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित करने तथा उसी समय अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल प्रयोग कारित करने हेतु भा0दं0सं0 की धारा 454, 506 भाग—2, 323, 324 एवं 354 के अंतर्गत आरोप है।

2. संक्षेप में अभियोजन घटना इस प्रकार है कि दिनांक 16.10.2015 को दिन के लगभग 2 बजे अभियोक्त्री अपने घर पर थी, उसके अलावा घर पर कोई नहीं था, उसी समय आरोपी रामदास उसके घर की दीवार कूदकर घर के अंदर आ गया था एवं बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था, उसने विरोध किया था तो आरोपी ने उसका हाथ मरोड़ दिया था, वह चिल्लाई थी तो उसके ताउ भगवानदास आ गये थे, उन्होंने बचाने की कोशिश की थी, तो आरोपी ने पेंट की बेल्ट के नीचे से कट्टा निकालकर उसकी मूठ उसके ताउ के दाहिनी आंख के नीचे मारी थी और उसके ताउ भगवानदास के हाथ में काट

लिया था तथा उन्हें नीचे पटक दिया था जिससे उसके ताउ को भी चोटे आई थी, आरोपी ने जाते समय जान से मारने की धमकी भी दी थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना मौ में अपराध क0 236/15 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये थे, आरोपी को गिरफ्तार किया गया था एवं विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

- 3. उक्त अनुसार मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा आरोपी के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। आरोपी को आरोपित अपराध पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने आरोपित अपराध से इंकार किया है व प्रकरण में विचारण चाहा है। आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया।
- 4. द0प्र0सं0 की धारा 313 के अंतर्गत अपने अभियुक्त परीक्षण के दौरान आरोपी ने कथन किया है कि वह निर्दोष हैं उसे प्रकरण में झूटा फंसाया गया है।
- 5. इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुए है :--
  - 1. क्या आरोपी ने दिनांक16.10.2015 को दोपहर लगभग 2 बजे ग्राम गुहीसर में अभियोक्त्री के निवासगृह में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार या गृह भेदन कारित किया ?
  - क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया?
  - 3. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियोक्त्री को जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
  - 4. क्या आरोपी ने घटना दिनांक समय व स्थान पर अभियोक्त्री का हाथ मरोड़कर एवं आहत भगवानदास की कट्टे की बट एवं दांतों से काटकर उन्हें स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 6. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोजन की ओर से अभियोक्त्री अ०सा० 1, आहत भगवानदास अ०सा० 2, भैयालाल सुनारिया अ०सा० 3 एवं डॉ० पवन कुमार सेंगर अ०सा० 4 को परीक्षित कराया गया है जबकि आरोपी की ओर से बचाव में लालिसंह व०सा० 1 को परीक्षित कराया गया है।

# निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3

- 7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोक्त्री अ०सा० 1 द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथन में कोई कथन नहीं किया गया है। आहत भगवानदास अ०सा० 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी।
- 8. इस प्रकार आहत भगवानदास अ०सा० 2 ने आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दिया जाना बताया है परन्तु यह बात अभियोक्त्री अ०सा० 1 द्वारा नहीं बताई गई है। अभियोक्त्री अ०सा० 1 का ऐसा कहना नहीं है कि आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर आहत भगवानदास अ०सा० 2 का कथन अभियोक्त्री अ०सा० 1 के कथन से विरोधाभाषी रहा है, इसके अतिरिक्त यहां यह भी उल्लेखनीय है कि भा०दं०सं० की धारा 506 भाग—2 को प्रमाणित होने के लिए यह

आवश्यक है कि आरोपी द्वारा दी गई धमकी वास्तविक हो और उसे सुनकर फरियादी को भय अथवा अभित्रास कारित हुआ हो, मात्र क्षणिक आवेश में दी गई तुच्छ धमकियों से भा0दं0सं0 की धारा 506 भाग—2 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है।

9. प्रस्तुत प्रकरण में आहत भगवानदास ने आरोपी द्वारा जाने से मारने की धमकी दिया जाना बताया है परन्तु यह बात अभियोक्त्री अ0सा0 1 द्वारा नहीं बताई गई है इसके अतिरिक्त भगवानदास अ0सा0 2 ने यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि आरोपी द्वारा दी गई धमकी को सुनकर उसे भय अथवा अभित्रास कारित हुआ था, ऐसी स्थिति में भावदंवसंठ की धारा 506 भाग—2 के संगठक पूर्ण नहीं होते है ऐसी स्थिति में आरोपी को उक्त धारा में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है फलतः यह न्यायालय आरोपी को भावदंवसंठ की धारा 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

## विचारणीय प्रश्न कमांक 1. 2 एवं 4

- 10. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- 11. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में अभियोक्त्री अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि घटना पिछले वर्ष क्वार माह की फसल कटाई के समय की दिन के दो बजे की उसके घर स्थित ग्राम गुहीसर की है। उस समय वह अपने घर में मिट्टी लगा रही थी, उसी समय आरोपी रामदास उसके घर की दीवार कूदकर आ गया था और आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और उसके साथ हाथापाई कर उसके चांटा मारा था, उसके चिल्लाने पर उसके दद्दू भगवानदास अंदर आ गये थे, भगवानदास ने रामदास को भगाया था तो रामदास ने भगवानदास को भी पकड़ लिया था एवं रामदास ने कट्टे की बट से भगवानदास के चेहरे पर आंख के पास प्रहार किया था तथा उसके दद्दू भगवानदास को बाये हाथ में दांतों से काट लिया था। आरोपी रामदास ने उसे व उसके घरवालों को गालियां भी दी थी। आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा था, उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में लिखाई थी, जो प्र0पी0 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नक्शामौका प्र0पी0 2 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 12. प्रतिपरीक्षण के पद क0 4 में उक्त साक्षी ने यह व्यक्त किया है कि रामदास से हस्तगत घटना के छः महीने पहले उसकी लड़ाई हुई थी। उसके व रामदास के बीच तीन—चार बार लड़ाई हो चुकी है। पद क0 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि रामदास जब दीवार कूदकर उसके घर के अंदर आया था तब वह अपने घर के अंदर आंगन में नीम के बगल में थी। जब दददू उसकी आवाज सुनकर आये थे तब आरोपी काफी देर तक वहां रहा था और ददूद से हाथापाई करता रहा था। इस बीच वह और दद्दू चिल्लाये थे तो उनकी आवाज सुनकर नट्टी और कल्ली आ गये थे। पद क0 6 में उक्त साक्षी का कहना है कि घटना के बाद दद्दू उसी दिन रिपोर्ट करने गये थे और वह दूसरे दिन रिपोर्ट करने गई थी। पद क0 7 में उक्त साक्षी का कहना है कि वह रिपोर्ट करने घटना के दूसरे दिन 10—11 बजे गई थी तथा शाम को 4—5 बजे रिपोर्ट करके लौटी थी।
- 13. आहत भगवानदास अ०सा० 2 ने भी अपने कथन में यह बताया है कि दिनांक 16.10. 2015 को दोपहर लगभग 2 बजे वह अपने घर के बाहर बैठा था, अभियोक्त्री के चिल्लाने की आवाज आई

थी तो वह घर के अंदर गया था, उसने अंदर जाकर देखा था कि आरोपी ने बुरी नियत से अभियोक्त्री का हाथ पकड़ा था, उसने विरोध किया था तो आरोपी ने उसके बाये हाथ में काट लिया था तथा उसकी दाहिनी तरफ आंख के नीचे कट्टे का बट मार दिया था। आरोपी रामदास दीवार कूदकर उसके घर के अंदर आया था। प्रतिपरीक्षण के पद क0 4 में उक्त साक्षी का कहना है कि उसे देखकर आरोपी अभियोक्त्री का हाथ छोड़कर उससे छेड़छाड़ करने की नियत से छीना झपटी करने लगा था। आरोपी ने अभियोक्त्री की छाती दवा दी थी। पद क0 5 में उक्त साक्षी का कहना है कि 15 मिनिट के बाद कल्याण एवं रामप्रकाश आ गये थे। वह उस दिन डर के कारण रिपोर्ट करने नहीं गया था। घटना के दूसरे दिन 17 तारीख को वह रिपोर्ट करने गया था।

- 14. डॉ० पवन कुमार सेंगर अ०सा० 4 ने अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसने दिनांक 17.10.2015 को थाना मौ के आरक्षक अकबर खॉ द्वारा लाये जाने पर आहत भगवानदास का चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने भगवानदास के शरीर पर तीन चोटे चोट क० 1 हाथ के अंगूठे पर छिले का निशान, चोट क० 2 सीधे घुटने पर बहुत सारे छिले के निशान एवं चोट क० 3 सीधी आंख के उपर लालिमायुक्त सूजन पाई थी, उसके मतानुसार उक्त चोट सख्त एवं मोथरी वस्तु से आना संभावित थी एवं साधारण प्रकृति की थी। उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने उक्त दिनांक को ही अभियोक्त्री का भी चिकित्सकीय परीक्षण किया था एवं परीक्षण के दौरान उसने अभियोक्त्री के सीधे गाल पर सूजन तथा लालिमा पाई थी, उक्त चोट मोथरी वस्तु से आना संभावित थी, उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 6 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।
- 15. साक्षी भैयालाल सोनारिया अ०सा० ३ ने विवेचना को प्रमाणित किया है।
- 16. तर्क के दौरान बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं। फरियादी द्वारा आरोपी के विरूद्ध असत्य अपराध पंजीबद्ध कराया गया है, अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं है।
- 17. बचाव पक्ष की ओर से साक्षी लालिसंह व0सा0 1 को परीक्षित कराया गया है। लालिसंह ब0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन मे व्यक्त किया है कि उसका व भगवानदास का मकान आमने सामने है। भगवानदास एवं रामदास का पैसों का लेन—देन था। रामदास ने भगवानदास से पैसे मांगे थे तो आपस में मुंहबाद हो गया था। रामदास ने अभियोक्त्री के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया था।
- 18. सर्वप्रथम न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी ने घटना दिनांक को अभियोक्त्री के निवासगृह में प्रवेश कर प्रच्छन्न गृहअतिचार अथवा गृह भेदन कारित किया एवं अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। उक्त संबंध में अभियोक्त्री अ0सा0 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन वह अपने मकान में मिट्टी लगा रही थी, उसी समय आरोपी उसके घर की दीवार कूदकर आ गया था, आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था और उसके साथ हाथापाई कर उसे चांटा मारा था, उसके चिल्लाने पर उसके ताउ भगवानदास आ गये थे तो आरोपीगण ने उसके ताउ भगवानदास की भी मारपीट की थी। आहत भगवानदास अ0सा0

2 ने भी अभियोक्त्री अ0सा0 1 के उक्त कथन का समर्थन किया है एवं व्यक्त किया है कि घटना वाले दिन वह अपने घर के बाहर बैठा था, अभियोक्त्री के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह घर के अंदर गया था तो उसने देखा था कि आरोपी ने अभियोक्त्री का बुरी नियत से हाथ पकड़ा था, उसने विरोध किया था तो आरोपी ने उसकी भी मारपीट की थी।

- 19. प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियोक्त्री अ०सा० 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि जब आरोपी ने उसका हाथ पकड़ा था तो वह चिल्लाई थी तब उसके दद्दू आ गये थे एवं आरोपी दद्दू से हाथापाई करता रहा था। उसके व दद्दू के चिल्लाने की आवाज सुनकर नट्टी व कल्ली मौके पर आ गये थे फिर आरोपी भाग गया था। इस प्रकार अभियोक्त्री अ०सा० 1 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि उसके एवं भगवानदास के चिल्लाने पर मौके पर नट्टी व कल्ली आ गये थे जबिक भगवानदास अ०सा० 2 का कहना है कि मौके पर कल्याण सिंह एवं रामप्रकाश आ गये थे। इस प्रकार उक्त बिन्दु पर अभियोक्त्री अ०सा० 1 एवं भगवानदास अ०सा० 2 के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे है लेकिन उक्त विरोधाभाष इतना तात्विक नहीं है जिसके आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन घटना को ही संदेहास्पद मान लिया जाये।
- 20. अभियोक्त्री अ0सा0 1 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी बताया है कि उसके दद्दू घटना वाले दिन ही रिपोर्ट करने गये थे जबिक वह दूसरे दिन रिपोर्ट करने गये थे जबिक आहत भगवानदास अ0सा0 2 का कहना है कि वह उस दिन डर के कारण रिपोर्ट करने नहीं गया था वह दूसरे दिन 17 तारीख को रिपोर्ट करने गया था, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी अभियोक्त्री अ0सा0 1 के कथन भगवानदास अ0सा0 2 के कथनों से किंचित विरोधाभाषी रहे हैं परन्तु उक्त विरोधाभाष भी इतना तात्विक नहीं है जिसके आधार पर सम्पूर्ण अभियोजन घटना संदेहास्पद मान ली जाये।
- 21. आहत भगवानदास अ०सा० 2 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि आरोपी ने अभियोक्त्री की छाती दबा दी थी परन्तु यह बात स्वयं अभियोक्त्री अ०सा० 1 द्वारा नहीं बताई गई है, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर भी अभियोक्त्री अ०सा० 1 एवं भगवानदास अ०सा० 2 के कथन परस्पर विरोधाभाषी रहे हैं तथा यही दर्शित होता है कि भगवानदास द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने कथनों को किंचित बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया गया है परन्तु मात्र इस आधार पर अभियोक्त्री अ०सा० 1 के कथनों के विपरीत कोई उपधारणा नहीं की जा सकती है।
- 22. अभियोक्त्री अ0सा0 1 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से यह बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी उसके घर की दीवाल कूदकर उसके घर के अंदर आ गया था तथा आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था, साक्षी भगवानदास अ0सा0 2 द्वारा भी अभियोक्त्री अ0सा0 1 के उक्त कथन का समर्थन किया गया है। उक्त दोनों साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त साक्षीगण का कथन आरोपी द्वारा छेडछाड़ किये जाने के बिन्दु पर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खंडन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, अतः उक्त बिन्दु पर अभियोक्त्री की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। फलतः उक्त बिन्दु पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपी ने अभियोक्त्री के निवासगृह में प्रवेश कर गृह भेदन कारित किया था तथा अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया था।

## 6 आपराधिक प्रकरण कमांक 1133/2015

- 23. जहां तक आरोपी द्वारा अभियोक्त्री एवं आहत भगवानदास की मारपीट किये जाने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि अभियोक्त्री अ0सा0 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन आरोपी रामदास उसके घर की दीवाल कूदकर अंदर आ गया था तथा आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था एवं उसके साथ हाथापाई की थी तथा उसके चांटा मारा था, जब वह चिल्लाई थी तो उसके ताउ भगवानदास आ गये थे तो आरोपी ने भगवानदास की भी कट्टे के बट से मारपीट की थी तथा आरोपी ने भगवानदास को दांतों से काट लिया था। आहत भगवानदास अ0सा0 2 ने भी अपने कथन में आरोपी द्वारा कट्टे के बट से उसकी मारपीट करना बताया है तथा यह भी बताया है कि आरोपी ने उसके बाये हाथ में काट लिया था।
- इस प्रकार अभियोक्त्री अ०सा० 1 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा उसके साथ हाथापाई करना और उसे चांटा मार देना बताया है परन्तु इस तथ्य का उल्लेख प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, न ही यह बात कि आरोपी ने अभियोक्त्री को चांटा मारा था, अभियोक्त्री द्वारा न्यायालय के समक्ष धारा 164 द0प्र0सं0 के कथन में बताई गई है। अभियोक्त्री अ0सा0 1 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी ने उसके चांटा मारा था परन्तु यह बात अभियोक्त्री द्वारा प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अपने पुलिस कथन तथा पूर्व न्यायालयीन कथन में नहीं बताई गई है। प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह वर्णित है कि आरोपी ने अभियोक्त्री का हाथ मरोड़ दिया था परन्तु यह बात अभियोक्त्री द्वारा अपने न्यायालयीन कथन में नहीं बताई गई है। अभियोक्त्री ने आरोपी द्वारा उसके चांटा मारना बताया है परन्तू इस तथ्य का उल्लेख प्र0पी० 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं अभियोक्त्री के पुलिस कथन में नहीं है, इस प्रकार उक्त बिन्दु पर अभियोक्त्री अ०सा० 1 के कथन प्र०पी० 1 की प्रथम सूचना एवं उसके पुलिस कथन से विरोधाभाषी रहे हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साक्षी भगवानदास अ०सा० 2 ने भी अपने कथन में यह नहीं बताया है कि आरोपी ने अभियोक्त्री को चांटा मारा था इस प्रकार उक्त बिन्दू पर अभियोक्त्री अ0सा0 1 के कथन भगवानदास अ0सा0 2 के कथन से विरोधाभाषी रहे हैं, ऐसी स्थिति में अभियोक्त्री अ०सा० 1 का यह कथन की आरोपी ने उसे चांटा मारा था, विश्वास योग्य नही है एवं प्रकरण में आई साक्ष्य से संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने अभियोक्त्री की मारपीट कर उसे उपहति कारित की।
- 25. जहां तक आरोपी द्वारा आहत भगवानदास अ०सा० 2 की मारपीट किये जाने का प्रश्न है तो अभियोक्त्री अ०सा० 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि जब उसके दद्दू भगवानदास उसे बचाने आये थे तो आरोपी ने कट्टे की बट से उसके दद्दू भगवानदास की मारपीट की थी और उसके दद्दू को दांतों से काट लिया था। आहत भगवानदास अ०सा० 2 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा उसे दांतों से काट लेना एवं उसकी कट्टे के बट से मारपीट करना बताया है। इस प्रकार आहत भगवानदास अ०सा० 2 ने अपने कथन में आरोपी द्वारा उसे दांतों से काट लेना बताया है परन्तु भगवानदास की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 5 में यह वर्णित नहीं है कि आहत को आई चोट मानव दांतों से आना संभावित है इस प्रकार आहत भगवानदास अ०सा० 2 ने अपने कथन में यह बताया है कि आरोपी ने उसे दांतों से काटा था परन्तु इस तथ्य की पुष्टि भगवानदास की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 5 से नहीं हो रही है। भगवानदास की चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र०पी० 5 में यह वर्णित नहीं है कि आहत को आई चोट मानव दांतों से आना संभावित है ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने आहत भगवानदास को दांतों से काटकर उसे उपहति कारित की थी।

- 26. जहां तक आरोपी द्वारा भगवानदास की कट्टे से मारपीट किये जाने का प्रश्न है तो वहां यह उल्लेखनीय है कि डॉo पवन कुमार सेंगर अ0साo 4 ने अपने कथन में स्पष्ट रूप से बताया है कि उसने घटना दिनांक को आहत भगवानदास का चिकित्सकीय परीक्षण किया था तथा परीक्षण के दौरान उसने भगवानदास के हाथ के अंगूठे, सीधे घुटने एवं आंख के उपर चोट पाई थी, उसकी रिपोर्ट प्र0पीo 5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोक्त्री अ0साo 1 ने भी अपने कथन में आरोपी द्वारा कट्टे के बट से भगवानदास की मारपीट करना बताया है, भगवानदास अ0साo 2 ने भी अपने कथन में आरोपी द्वारा उसकी मारपीट करना बताया है, उक्त साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षीगण का कथन आरोपी द्वारा आहत भगवानदास की मारपीट किये जाने के बिन्दु पर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है, चिकित्सकीय रिपोर्ट प्र0पीo 5 में भी घटना दिनांक को आहत भगवानदास के शरीर पर चोटे होने का उल्लेख है, डॉo पवन कुमार सेंगर अ0साo 4 का कथन भी अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान घटना दिनांक को आहत भगवानदास के शरीर पर चोटे होने को बिन्दु पर अखण्डनीय रहा है।
- 27. इस प्रकार प्रकरण में आई साक्ष्य से यह तो प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने झगड़े के दौरान आहत भगवानदास को दांतों से काटकर उसे उपहित कारित की थी परन्तु प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि घटना दिनांक को आरोपी ने कट्टे की बट से आहत भगवानदास की मारपीट कर उसे उपहित कारित की थी।
- 28. बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा तर्क के दौरान यह भी व्यक्त किया गया है कि फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट अत्यंत विलम्ब से की गई है, अतः अभियोजन घटना संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं माना जा सकता है परन्तु बचाव पक्ष अधिवक्ता का यह तर्क स्वीकार योग्य नहीं है, यद्यपि प्र0पी0 1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार घटना दिनांक 16.10.2015 को दिन के 02:00 बजे की है एवं घटना की सूचना दिनांक 17.10.2015 को 11:45 बजे की गई है। इस प्रकार यद्यपि अभियोक्त्री द्वारा घटना की रिपोर्ट किंचित विलम्ब से की गई है परन्तु मात्र विलम्ब के आधार पर अभियोजन घटना संदेहास्पद नहीं हो जाती है। आरोपी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियोक्त्री द्वारा आरोपी को असत्य रूप से अपराध में संलिप्त किया गया हो, ऐसी स्थिति में मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में हुए किंचित विलम्ब के कारण अभियोजन घटना पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।
- 29. जहां तक बचाव साक्षी लालिसंह ब0सा0 1 के कथन का प्रश्न है तो लालिसंह ब0सा0 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि रामदास एवं भगवानदास के मध्य पैसों का लेनदेन था एवं रामदास ने भगवानदास से अपने पैसे मांगे थे तो उनके मध्य मुंहबाद हो गया था। इस प्रकार बचाव साक्षी लालिसंह ब0सा0 1 के कथनों से भी रामदास एवं भगवानदास के मध्य विवाद होना तो स्पष्ट है। लालिसंह ब0सा0 1 द्वारा यह भी व्यक्त किया गया है कि उस समय अभियोक्त्री गांव मे नहीं थी एवं आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया गया था तथा उक्त बात पूरे मोहल्ले को पता थी परन्तु उक्त संबंध में कोई पंचनामा, कोई दस्तावेज आरोपी की ओर से अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। लालिसंह ब0सा0 1 द्वारा यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि भगवानदास के शरीर पर आई चोटे किस प्रकार आई थी, ऐसी स्थिति में लालिसंह ब0सा0 1 के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है एवं लालिसंह ब0सा0 1 के कथनों से भी आरोपी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

- 30. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोक्त्री अ0सा0 1 ने अपने कथन में यह बताया है कि घटना वाले दिन आरोपी उसकी दीवार कूदकर आ गया था एवं आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था तथा जब उसके ताउ भगवानदास उसे बचाने आये थे तो आरोपी ने भगवानदास की भी कट्टे के बट से मारपीट की थी। आहत भगवानदास अ0सा0 2 द्वारा भी अभियोक्त्री अ0सा0 1 के कथनों का पूर्णतः समर्थन किया गया है एवं आरोपी द्वारा अभियोक्त्री के साथ छेडखानी करने करने एवं उसकी मारपीट करने बावत् प्रकटीकरण किया गया है। उक्त दोनों ही साक्षीगण का बचाव पक्ष अधिवक्ता द्वारा पर्याप्त प्रतिपरीक्षण किया गया है परन्तु प्रतिपरीक्षण के दौरान उक्त दोनों ही साक्षीगण का कथन तुच्छ विसंगतियों को छोड़कर तात्विक विरोधाभाषों से परे रहा है। आरोपी की ओर से उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई विश्वसयीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में अभियोजन की अखण्डित रही साक्ष्य पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है।
- 31. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई विवेचना से यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना दिनांक को आरोपी ने अभियोक्त्री के निवासगृह में कारावास से दण्डनीय अपराध करन के आशय से प्रवेश कर गृह भेदन कारित किया एवं अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उसका हाथ पकड़कर उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा आहत भगवानदास की मारपीट कर उसे उपहति कारित की।
- 32. अब न्यायालय को यह विचार करना है कि क्या आरोपी ने भगवानदास को स्वेच्छया उपहित कारित की थी ? उक्त संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी ने अभियोक्त्री के निवासगृह में प्रवेश कर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा था एवं जब आहत भगवानदास अभियोक्त्री को बचाने आये थे तो आरोपी ने भगवानदास की कट्टे के बट से मारपीट की थी। मारपीट करते समय आरोपी यह समझने में सक्षम था कि उसके द्वारा जिस तरह से आहत भगवानदास की मारपीट की जा रही है उससे भगवानदास को उपहित कारित होना संभावित है। आरोपी का ऐसा कहना भी नहीं है कि उसके द्वारा प्राईवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए भगवानदास को उपहित कारित की गई थी, ऐसी स्थिति में प्रकरण में आई साक्ष्य से यही दर्शित होता है कि आरोपी ने आहत भगवानदास को स्वेच्छया उपहित कारित की थी।
- 34. इस प्रकार भा0द0स0 की धारा 324 को आकृष्ट होने के लिए यह आवश्यक है कि उपहित असन वेदन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या अग्नि विष द्वारा कारित की गयी हो। प्रस्तुत प्रकरण में आहत भगवानदास 30सा0 2 ने आरोपी द्वारा उसकी उसकी कट्टे के बट से मारपीट करना

## 9 आपराधिक प्रकरण कमांक 1133/2015

बताया है। प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि आरोपी द्वारा भगवानदास को दांतो से काटकर उसे उपहित कारित की गई थी ऐसी स्थिति में भा0द0स0 की धारा 324 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है एवं आरोपी को उक्त अपराध में दोषारोपित नहीं किया जा सकता है। फलतः यह न्यायालय आरोपी को भा0द0स0 324 के आरोप से दोषमुक्त करती है।

- 35. प्रस्तुत प्रकरण में आई साक्ष्य से यह प्रमाणित है कि आरोपी द्वारा आहत भगवानदास की कट्टे के बट से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की गई थी अतः आरोपी का उक्त कृत्य भा0द0स0 की धारा 324 की परिधि में न आते हुए भा0द0स0 की धारा 323 की परिधि में आता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यद्यपि आरोपी पर आहत भगवानदास की मारपीट के लिए भा0दं0सं० की धारा 324 का आरोप विरचित किया गया है परन्तु भा0दं0सं० की धारा 323, धारा 324 से लघुत्तर है एवं धारा 324 में धारा 323 का कृत्य भी समाहित है ऐसी स्थित में आरोपी पर आहत भगवानदास की मारपीट के संबंध में भा0दं0सं० की धारा 323 के अंतर्गत पृथक से आरोप विरचित किया जाना आवश्यक नहीं है एवं आरोपी को भा0दं0सं० की धारा 323 के अंतर्गत विधि अनुसार दिन्डत किया जा सकता है।
- 36. फलतः उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक को अभियोक्त्री की मारपीट कर उसका हाथ मरोड़कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की एवं यह प्रमाणित करने में भी असफल रहा है कि आरोपी ने घटना दिनांक को आहत भगवानदास को दांतों से काटकर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की । फलतः यह न्यायालय आरोपी रामदास को अभियोक्त्री की मारपीट के संबंध में भा0दं0सं0 की धारा 323 एवं आहत भगवानदास के संबंध में भा0दं0सं0 की धारा 324 के आरोप से दोषमुक्त करती है।
- 37. उपरोक्त चरणों में की गई समग्र विवेचना से अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी ने दिनांक 16.10.2015 को दोपहर लगभग दो बजे ग्राम गुहीसर में अभियोक्त्री के निवासगृह में कारावास से दण्डनीय अपराध करने के आशय से प्रवेश कर गृह भेदन कारित किया एवं अभियोक्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया तथा उसी समय आहत भगवानदास की कट्टे के बट से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहित कारित की। फलतः यह न्यायालय आरोपी रामदास को भा0दं0स0 की धारा 454, 354 एवं आहत रामदास की मारपीट के संबंध में 323 के आरोप में दोषी पाती है।
- 38. समग्र अवलोकन से यह न्यायालय आरोपी रामदास के। भा०दं०सं० की धारा 323, 324 एवं 506 भाग—2 के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आरोपी को भा०दं०सं० की धारा 454, 354 एवं 323 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध करती है।
- 39. सजा के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय लिखाया जाना अस्थाई रूप से स्थिगित किया गया।

(प्रतिष्टा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 पुनश्चः –

- 40. आरोपी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को सजा के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी ने नियमित रूप से विचारण का सामना किया है। अतः आरोपी को कम से कम दण्ड से दण्डित किया जावे।
- 41. आरोपी अधिवक्ता के तर्क पर विचार किया गया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। आरोपी द्वारा नियमित रूप से विचारण का सामना किया गया है परन्तु आरोपी द्वारा जिस तरह से अभियोक्त्री के साथ छेड़छाड़ की गई है एवं मारपीट की गई है उन परिस्थितियों में आरोपी को शिक्षाप्रद दंड से दंडित किया जाना न्यायोचित है। फलतः यह न्यायालय आरोपी रामदास को भावदंवसंव की धारा 454 के अंतर्गत एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपए के अर्थदण्ड तथा अर्थदण्ड की राशि में व्यतिकृम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की राशि में व्यतिकृम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की राशि में व्यतिकृम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं भावदंवसंव की राशि में व्यतिकृम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं भावदंवसंव की राशि में व्यतिकृम होने पर दो माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास एवं भावदंवसंव की राशि में व्यतिकृम होने पर पन्द्रह दिवस के अतिरिक्त सश्रम कारावास के दण्ड से दिण्डत करती है।
- 42. कारावास की सभी सजाऐं एक साथ चलेगी।
- 43. आरोपी पूर्व से जमानत पर है उसके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते है।
- 44. 🏻 🔎 प्रकरण में जप्तशुदा कोई सम्पत्ति नही है।
- 45. प्रकरण में आरोपी जितने समय के लिए न्यायिक निरोध में रहा है उसके संबंध में द0प्र0सं0 की धारा 428 के अंतर्गत ज्ञापन तैयार किया जावे। आरोपी द्वारा न्यायिक निरोध में बिताई गई अविध उसकी सारवान सजा में समायोजित की जावे। आरोपी इस प्रकरण में दिनांक 19.10.2015 से दिनांक 05.11.2015 तक न्यायिक निरोध में रहा है।

तदानुसार सजा वारंट तैयार किया जावे।

स्थान – गोहद दिनांक – 23/03/2018 निर्णय आज दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म0प्र0) (प्रतिष्ठा अवस्थी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड(म०प्र०)

SIND SUNTA